

भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो
क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय
माखूपुरा औद्योगिक क्षेत्र, अजमेर-305002
ई मेल:- ro.ajmer@ibm.gov.in



Government of India
Ministry of Mines
Indian Bureau of Mines
Office of the Regional Controller of Mines.
Makhupura Industrial Area, Ajmer -305002
Ph-145-2695165 / 2695476 Fax--2695202

No RAJ/Pali-46/Lst-21

Date- 2/8/2018

प्रेषित The Agent,
M/s Ultra tech Cement Ltd.
2nd Floor, Siddhi Vinayak Complex,
Railway Station Road, Beawar- 305901
Distt. Ajmer

विषय: राजस्थान राज्य के Pali जिले में स्थित आपकी Pali limestone mine खान 689.76 हैक्टे में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियमों का उल्लंघन (खान कोड संख्या 38RAJ21011)

महोदय,

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 11.7.2018 को उपरोक्त खान के निरीक्षण में पाया गया है कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबन्धों का उल्लंघन किया है।
नियम उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा

- 31(4) The plans & sections required under these rules had not been kept up dated quarterly
- 45(5)(b) . The information of drilling 132 boreholes have not been given in the annual return of the mine for the year 2017-18.
- 47 The notice of drilling of boreholes in Form 'I' has not been submitted to the Regional Controller of Mines within fifteen days of commencement of drilling.
- 48 The holder of mining lease is required to keep the records of drilling of boreholes in form 'J'; But the same has not been maintained as per these rules.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।

(क) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।

03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैंतालिस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

(एच.सी.शर्मा)
वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :-

- 1 खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर । (ई-मेल द्वारा)
- 2 निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर, राजस्थान ।
- 3 रक्षित पत्रावली ।

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो